न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह

बइजलास श्री शिवराज मीणा आर० ए० एस० उपखण्ड अधिकारी

मि० नं० 12/2024

ता० रजू 26.02.2024

उनवान

1. किशनलाल पि० घासी जाति जाट निवासी लक्ष्मीपुरा जाटान पंचायत अलियारी।
2. रामेश्वर पि० घासी जाति जाट निवासी लक्ष्मीपुरा जाटान पंचायत अलियारी।

–वादीगण–

बनाम

1. तहसीलदार/लेण्ड होल्डर तहसील टोडारायसिंह।

–प्रतिवादी–

दावा घोषणा दुरूस्ती रिकार्ड

आदेश दिनांकः–12.04.2024

वाद वादीगण की मुख्य रूप से कथन है कि उनके खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके ग्राम पन्द्राहेडा तहसील टाडारायसिंह में स्थित है जो वाद के परिशिष्ट (अ) में अंकित है जो खतौनी संख्या 60 सम्वत् 2073–2076 है व वादीगण की अन्य आराजी ग्राम लक्ष्मीपुरा जाटान पंचायत अलियारी में स्थित है जो वाद के परिशिष्ट (ब) में अंकित है जो वादीगण के पिता घासीलाल पुत्र भूरा के समय की है जो परिशिष्ट (अ) एवं (ब) में अंकित है। वादीगण के पिता घासीलाल पुत्र भूरा की मृत्यु दिनांक 14.03.2013 को ग्राम लक्ष्मीपुरा जाटान में होने के कारण वादीगण के पिता की विरासत नामान्तरकरण ग्राम लक्ष्मीपुरा जाटान की खतौनी संख्या 30 सम्वत् 2068–2071 में नामान्तरकरण संख्या 176 दिनांक 20.12.2013 का विरासत नामान्तरकरण तो सही दर्ज कर दिया लेकिन ग्राम पन्द्राहेडा की खतौनी संख्या 90 सम्वत् 2068–2071 में नामान्तरकरण संख्या 754 की विरासत नोट में वादीगण के पिता घासी के स्थान पर दादा भूरा का नाम दर्ज कर दिया जो तकनीकी व लिपिकीय त्रुटि है। जिस पर आज तक बतौर घासी के पुत्रों के रूप में आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त है। घासी पुत्र भूरा के दो पुत्र किशन लाल, रामेश्वर तथा एक पुत्री सायर हुए है। सायर द्वारा हक अपने भाईयो के हक में छोड दिया। इसलिए उसे पक्षकार नही बनाया है।

ग्राम लक्ष्मीपुरा जाटान के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम सही दर्ज है लेकिन खतौनी संख्या 60 ग्राम पन्द्राहेडा की खतौनी में वादीगण के पिता घासी के स्थान पर दादा भूरा का नाम अंकित होने के कारण राजकीय योजनाओं के लाभ से पिता का नाम गलत हो जाने के कारण वंचित होन पड रहा है। नामान्तरकरण संख्या 754 ग्राम पन्द्राहेडा में वादीगण के पिता के नाम के स्थान पर दादा भूरा का नाम दर्ज किया गया है। जो आरंभतः ही अवैध व शुन्य प्रविष्टि है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक राजकोषीय कार्यवाही है जिसमें को स्वत्व प्राप्त नही होते जिसे निरस्त करवाने की भी आवश्यकता नही है। वादीगण ने प्रविवादी को वादीगण के पिता का नाम दुरूस्त करने के लिए कहा तो अदालत में चाराजोरी करने के लिए कहा इसलिए वादीगण खतौनी संख्या 60 सम्वत् 2073–2076 वाके ग्राम पन्द्राहेडा में वादीगण के पिता भूरा के स्थान पर घासी घोषणा करवा कर रिकार्ड दुरूस्ती करवाने के वादीगण अधिकारी है। इसलिए यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

विवाद मूल दिनांक 23.12.2023 को खतौनी संख्या 60 वाके ग्राम पन्द्राहेडा मे वादीगण के पिता का नाम भूरा के स्थान पर घासी दर्ज करने हेतु निवेदन करने पर अदालत में चाराजोरी करने के लिए करने पर अन्दर मियाद क्षैधाधिकार न्यायालय हाजा उत्पन्न होने पर यह दावा घोषणा दुरूस्ती रिकार्ड करना आवश्यक हुआ जो अन्दर मियाद है।

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी बाबत घोषणा दुरूस्ती रिकार्ड डिक्री फरमाया जाकर यह घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है कि वादीगण के पिता भूरा न होकर घासी है घासी की विरासत में गलत रूप से दादा का नाम तकनिकी [illegible] दर्ज हुआ है जिसको भूरा के स्थान पर घासी दुरूस्त रिकार्ड की घोषणा की जाकर खतौनी संख्या 60 जमाबंदी [illegible]–2076 वाके ग्राम पन्द्राहेडा में खातेदार किशनलाल, रामेश्वर पिता भूरा के स्थान पर किश[illegible], राम[illegible] पुत्र घासी साकिन लक्ष्मीपुरा जाटान बाबत रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shiv Raj Meena

Date: 2024.09.10 14:29:59 IST

Reason: SelfAttested

वाद वादीगण पेश होने पर तलबी प्रविवादी जरिये सम्मन की गई। जिस पर तहसील[illegible] टोडारायसिंह द्वारा इकबालिका जवाब दावा पेश कर निवेदन कि[illegible] के वाद पत्र में अंकित बिन्दुअ[illegible] मूल पत्रावली में संलग्न वदीगण द्वारा प्रस्तुत सबूत एवं रिकार्ड राजस्व की प्रतियों व पटवारी हल्का रिपोर्ट का किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा जाटान के खाता संख्या 30 जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 में वादीगण के पिता का नाम घासी लाल पुत्र भूरा की विरासत

Scanned with OKEN Scanner

नामान्तरकरण संख्या 176 दिनांक 20.12.2013 से किशनलाल, रामेश्वर पुत्र घासी लाल जाति जाट नाम दर्ज हुई थी। तथा वाके ग्राम पन्द्राहेडा के खाता संख्या 60 जमाबंदी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) में वादीगण के पिता घासी लाल पुत्र भूरा की विरासत नामान्तरकरण संख्या 754 से दर्ज खातेदार किशनलाल, रामेश्वर पुत्र भूरा जाति जाट साकिन लक्ष्मीपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड है। जो गलत है। नामान्तरकरण संख्या 754 में वादीगण पिता की विरासत में पिता के नाम के स्थान पर वादीगण के दादा का नाम अंकित हो गया जो गलत है। ग्राम पन्द्राहेडा के खाता संख्या 60 जमाबंदी सम्वत् 2076 वर्ष 2019 में दर्ज किशनलाल, रामेश्वर पुत्र भूरा जाति जाट साकिन लक्ष्मीपुरा जाटान के स्थान पर किशनलाल, रामेश्वर पिता घासी जाति जाट साकिन लक्ष्मीपुरा जाटान सही किया जाना उचित है।

वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम पन्द्राहेडा सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 60 प्रदर्श 1, ग्राम लक्ष्मीपुरा जाटान सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 12 प्रदर्श 2, ग्राम पन्द्राहेडा की सम्वत् 2068–2071 खाता संख्या 90 प्रदर्श 3, ग्राम लक्ष्मीपुरा जाटान सम्वत् 2068–2071 खाता संख्या 30 प्रदर्श 4, नकल नामान्तरकरण संख्या 176 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा जाटान, नकल नामान्तरकरण संख्या 754 वाके ग्राम पन्द्राहेडा तहसील टोडारायसिंह पेश किये। तथा बयानात वादी किशनलाल एवं स्वतंत्र गवाह सीताराम पुत्र पांचू जाति जाट निवासी लक्ष्मीपुरा जाटान के कलमबद्ध करवाये गये। जिन्हे शमिल मिसल किया गया।

बहस अभिभाषक वादीगण एवं पेरोकार सरकार की सूनी गई। जो मुख्य रूप से वाद पत्र व जवाब के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादीगण के पिता घासी लाल पुत्र भूरा के फोत होने पर ग्राम लक्ष्मीपुरा जाटान की आराजियात की घासीलाल पुत्र भूरा की विरासत जरिये नामान्तरकरण संख्या 176 दिनांक 20.12.2013 से किशनलाल, रामेश्वर पिता घासी जाति जाट तथा सायर पुत्री घासी लाल के नाम दर्ज हुई। जो कि नकल नामान्तरकरण संख्या 176 दिनांक 20.12.2013 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा जाटान व नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 खाता संख्या 30 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा जाटान प्रदर्श 4 के अनुसार दर्ज होना बखूबी प्रमाणित है तथा वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 12 ग्राम लक्ष्मीपुरा जाटान प्रदर्श 2 में भी वादी खातेदार के पिता का नाम घासी लाल दर्ज रिकार्ड है। जाहिर है कि वादीगण के पिता का नाम घासी लाल है जहां तक ग्राम पन्द्राहेडा की वाद ग्रस्त आराजी के बाबत प्रश्न है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल नामान्तरकरण संख्या 754 दिनांक 15.10. 2013 वाके ग्राम पन्द्राहेडा तथा नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 वाके ग्राम पन्द्राहेड़ा की खतौनी संख्या 90 प्रदर्श 3 के अनुसार वाद ग्रस्त आराजी खातेदार घासी पुत्र भूरा के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। लेकिन खातेदार घासी की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 754 दिनांक 15.10.2013 दर्ज किया गया उसमें किशनलाल, रामेश्वर पिता घासी के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नही किया जाकर किशनलाल, रामेश्वर पिता भूरा के नाम से कर दिया जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि भूरा तो वादीगण का दादा था। जो घासी का पिता था। अर्थात उक्त नामान्तरकरण संख्या 754 में वादीगण के पिता का नाम घासी दर्ज नही कर वल्दियत में दादा भूरा का नाम अंकित कर दिया। जो कि वर्तमान रिकार्ड राजस्व जमाबंदी खाता संख्या 60 सम्वत् 2073–2076 वाके ग्राम पन्द्राहेडा प्रदर्श 1 में दर्ज चला आ रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार के जवाब के अनुसार वादीगण खातेदार के पिता का नाम भूरा नही होकर घासी है अर्थात भूरा तो वादीगण के दादा था। वाद पत्र की पुष्टि जवाब एवं दस्तावेजात से होती है। वादीगण अपने पिता का नाम दुरूस्त करवा कर भूरा के स्थान पर घासी दर्ज करवाये जावे के कानूनी रूप से अधिकारी है।

अतः वाद वादीगण मुताबित जवाब तहसीलदार के अनुसार डिक्री किया जाकर ग्राम पन्द्राहेडा तहसील टोडारायसिंह के खाता संख्या 60 जमाबंदी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी में दर्ज किशनलाल, रामेश्वर पुत्र भूरा जाति जाट साकिन लक्ष्मीपुरा के स्थान पर किशनलाल, रामेश्वर पुत्र घासी जाति जाट साकिन लक्ष्मीपुरा जाटान दुरूस्त किया जाता है। तद्नुसार रिकार्ड राजस्व मे अमल हेतु पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 12.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/04/2024

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.09.10 14:29:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner